न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—481 / 2019

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
गीता पुत्री श्री आदुराम पत्नी श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 27/11/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थीया व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 2416 / 1 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 58 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2766 / 1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2804 रकबा 44 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2806 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2767 रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरमण्डी व खसरा नम्बर 3010 रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 3011 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. ढाणी ग्राम रावतनगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया का नाम भूलवश जीतू दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता डायरी इत्यादि में गीता नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीया को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थीया अपनी भूमि पर भूमि सुधार [illegible] बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है [illegible] पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीया की [illegible] खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2416 / 1 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 58 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2766 / 1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2804 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

44 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2806 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2767 रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरमण्डी व खसरा नम्बर 3010 रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 3011 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. ढाणी ग्राम रावतनगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम जीतू पुत्री आदूराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम गीता पुत्री आदूराम पत्नी रूपाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थीया का सही नाम गीता बताया है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम जीतू के स्थान पर गीता दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2416/1 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 58 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2766/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2804 रकबा 44 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2806 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2767 रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरमण्डी व खसरा नम्बर 3010 रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 3011 रकबा 07 बिस्वा गै. मु. ढाणी ग्राम रावतनगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम जीतू पुत्री आदूराम के स्थान पर सही नाम गीता पुत्री आदुराम पत्नी रूपाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:58:42 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 27/..... को खुली अदालत में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner